

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषधि विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 689
दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

जन औषधि केंद्र

689. श्रीमती कविता मलोथू:
डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:
श्री विवेक नारायण शेजवलकर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने देश में 10,500 जन औषधि केन्द्र खोलने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो मध्य प्रदेश और तेलंगाना सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसे प्राप्त करने में कितना समय लगा है;
- (ख) क्या यह सच है कि मौजूदा जन औषधि केंद्र गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने प्रत्येक सरकारी अस्पताल में प्राथमिक स्तर पर जन औषधि केंद्र खोलने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या यह सच है कि जन औषधि केंद्र मालिकों को दिए गए प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं हैं और वे इन्हें बढ़ाने का आग्रह करते रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे प्रोत्साहनों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को 2 लाख रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने पर विचार किया है जैसा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगों आदि को दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क): दिनांक 30.11.2022 तक, देश भर में लगभग 8,916 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) खोले जा चुके हैं। मार्च 2025 तक देश में 10,500 पीएमबीजेके खोलने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, पीएमबीजेके खोलने के लिए कोई राज्य विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। मध्य प्रदेश और

तेलंगाना राज्यों सहित देश भर में खोले गए पीएमबीजेके की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सूची **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है।

(ख): योजना की कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई), अधिक केंद्र खोलकर और साथ ही नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद की संख्या बढ़ाकर योजना की पहुंच का विस्तार करने का प्रयास करती है। नेटवर्क को और अधिक व्यापक बनाने के लिए पीएमबीआई द्वारा हाल ही में 404 जिलों के 3,500 से अधिक ब्लॉकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

(ग): औषध विभाग/पीएमबीआई समय-समय पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों/जिला प्रशासनों से पीएमबीजेपी केंद्र खोलने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)/सरकारी अस्पतालों में किराया मुक्त स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हैं।

(घ) और (ड.): योजना के अंतर्गत केंद्र के मालिकों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.00 लाख रुपये कर दिया गया है, जो कि मासिक खरीद के 15% की दर से दिया जाता है, जो 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा के अधीन है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिले के रूप में उल्लिखित पिछड़े क्षेत्रों में खोले गए पीएमबीजेपी केंद्रों को या महिला उद्यमी, दिव्यांग और एससी और एसटी द्वारा खोले गए पीएमबीजेपी केंद्रों को 2.00 लाख रुपये का एकमुश्त अतिरिक्त (आईटी और बुनियादी ढांचा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में) प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। वर्तमान में, ओबीसी उद्यमियों को एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जन औषधि केंद्रों के संबंध में श्रीमती कविता मलोथू, डॉ. जी. रणजीत रेड्डी, श्री वेंकटेश नेता बोरलाकुंता, श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 09.12.2022 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 689 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

दिनांक 30.11.2022 तक देश भर में खोले गए पीएमबीजेके की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सूची		
क्रम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	खोले गए पीएमबीजेके की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	9
2	आंध्र प्रदेश	142
3	अरुणाचल प्रदेश	29
4	असम	105
5	बिहार	341
6	चंडीगढ़	8
7	छत्तीसगढ़	199
8	दिल्ली	383
9	गोवा	11
10	गुजरात	513
11	हरियाणा	221
12	हिमाचल प्रदेश	60
13	जम्मू और कश्मीर	216
14	झारखंड	81
15	कर्नाटक	1010
16	केरल	974
17	लद्दाख	2
18	लक्षद्वीप *	0
19	मध्य प्रदेश	269
20	महाराष्ट्र	634
21	मणिपुर	35
22	मेघालय	16
23	मिजोरम	12
24	नागालैंड	19
25	ओडिशा	371

26	पुदुचेरी	20
27	पंजाब	310
28	राजस्थान	142
29	सिक्किम	3
30	तमिलनाडु	842
31	तेलंगाना	175
32	दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव	35
33	त्रिपुरा	25
34	उत्तर प्रदेश	1259
35	उत्तराखंड	223
36	पश्चिम बंगाल	222
कुल योग		8916

* लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को दवाओं की आपूर्ति सीधे की जाती हैं